



यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा कर: भारत के नरियात पर प्रभाव

यह एडिटरियल 22/10/2023 को 'हृद्दि बिजनेसलाइन' में प्रकाशित ["India must strategise against EU carbon tax"](#) लेख पर आधारित है। इसमें भारत की नरियात और जलवायु नीति के लिये यूरोपीय संघ द्वारा प्रस्तावित कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) के नहितार्थ के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलिमिस के लिये:

[यूरोपीय संघ](#), [कार्बन ट्रेड](#), [कार्बन उत्सर्जन](#), [यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली \(ETS\)](#), [हरित ऊर्जा](#), [डीकार्बोनाइजेशन](#), [मुक्त व्यापार समझौता \(FTA\)](#), [साझा कृति विभेदित उत्तरदायित्व](#)

मेन्स के लिये:

कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) और भारत पर इसके प्रभाव।

वशिषज्जों का मानना है कि यूरोपीय संघ (EU) द्वारा [कार्बन सीमा कर \(Carbon Border Tax- CBT\) संग्रहण की योजना \(1 जनवरी, 2026 से प्रभावी\)](#) भारत की नरियात लागत को बढ़ा सकती है। अक्टूबर 2023 से भारतीय नरियातकों को लगभग प्रत्येक दो माह पर अपनी प्रकरियाओं के संबंध में दस्तावेज जमा करने होंगे। यूरोपीय संघ के पास जल्द ही भारतीय नरियातकों की प्रकरियाओं पर पेश दस्तावेज की जाँच करने के लिये 'सत्यापनकर्ता' (verifiers) होंगे। वर्तमान में यह केवल इस्पात, एल्यूमीनियम, सीमेंट, उर्वरक, हाइड्रोजन और बजिली पर लागू होता है, लेकिन भविष्य में इसे यूरोपीय संघ में सभी आयातों तक वस्तुतः किया जाएगा।

EU का 'कार्बन सीमा कर' क्या है?

- **EU** का कार्बन सीमा कर (CBT) या [कार्बन सीमा समायोजन तंत्र \(CBAM\)](#) एक नीतित उपाय है जिसका उद्देश्य EU में आयातित कुछ वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन पर उचित मूल्य अधिरोपित करना है।
- यह 'फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज' (Fit for 55 in 2030 package) का एक भाग है, जो यूरोपीय जलवायु कानून के अनुपालन में वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक [ग्रीनहाउस गैस \(GHG\) उत्सर्जन को कम से कम 55%](#) तक कम करने की यूरोपीय संघ की एक योजना है।
- CBAM उन देशों से **सीमेंट, लौह एवं इस्पात, एल्यूमीनियम, उर्वरक, बजिली और हाइड्रोजन** के आयात पर लागू होगा जिनकी जलवायु नीतियाँ यूरोपीय संघ की तुलना में कम कठोर हैं।
 - इन वस्तुओं के आयातकों को [कार्बन प्रमाणपत्र \(carbon certificates\)](#) की खरीद करनी होगी जो उनके उत्पादों में नहित कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को दर्शाएँगे।
 - इन प्रमाणपत्रों का मूल्य **EU उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (EU Emissions Trading System- ETS)** में कार्बन के मूल्य के बराबर होगा। ETS एक बाजार-आधारित प्रणाली है जो EU के भीतर उद्योगों के उत्सर्जन को न्यंत्रित करती है।
- इसका उद्देश्य **गैर-EU देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना और कार्बन लीकेज को रोकना** है, जो नमित पर्यावरणीय मानकों वाले देशों में कार्बन-सघन गतिविधियों का स्थानांतरण है।

CBAM को लेकर भारत की चिंताएँ

- **लागत की वृद्धि और प्रतस्पर्द्धात्मकता की कमी:** CBAM लागत में वृद्धि कर सकता है और यूरोपीय संघ को भारतीय नरियात की प्रतस्पर्द्धात्मकता को कम कर सकता है, विशेष रूप से इस्पात एवं एल्यूमीनियम जैसे क्षेत्रों में, जो यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापार का एक बड़ा भाग है।
 - एक रपौट के अनुसार, **CBAM 1 जनवरी 2026 से यूरोपीय संघ में चुनिदा आयात पर 20-35% कर/टैक्स** के रूप में अभिव्यक्त होगा।
 - भारत के लौह अयस्क पेलेट्स, लौह, इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों के नरियात का 26.6% यूरोपीय संघ को जाता है।
 - ये उत्पाद CBAM से प्रभावित होंगे। **भारत EU को सालाना लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के माल का नरियात करता है।**
- **अनुपालन संबंधी मुद्दे:** CBAM अनुपालन के दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण है। यह भारतीय उत्पादकों और आयातकों के लिये प्रशासनिक एवं तकनीकी

चुनौतियाँ भी पैदा कर सकता है, जिन्हें यूरोपीय संघ के मानकों के अनुरूप अपने उत्सर्जन की नगिरानी, गणना, रपिपोर्ट एवं सत्यापन की आवश्यकता होगी।

◦ भारत की छोटी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, जैसा कविर्ष 2006 में भी हुआ था जब यूरोपीय संघ ने रासायनिक आयात को वनियमि करने के लिये एक कठोर व्यवस्था (EU REACH) लागू की थी।

- **FTA मानदंडों के वरिद्ध:** CBAM की एक 'नॉन-टैरिफि बैरियर' के रूप में आलोचना की जा रही है जो शून्य शुल्क **FTAs** की अवहेलना करती है। भारत लेवी का भुगतान करता है, जबकि कथित 'हरति' उत्पादों के लिये शुल्क-मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है, जसि वरिधाभासी स्थिति के रूप में देखा जा रहा है।

RISING TENSION

The proposed tax has raised concerns among Indian metal producers, who fear it will create a new trade barrier for exports to Europe.

Share (%) of CBAM products in India's exports



India's total exports of CBAM products to EU:

\$8.22 bn

Impact on sectors covered under CBAM

mint

	Number of tariff lines affected	EU's share (%) in India's exports of CBAM products
↑ HIGH		
Iron ore, concentrates	16	19.9
Steel products	163	20
Iron and steel	473	31.4
Aluminium and products	85	27.7
↓ LOW		
Cement	14	6.1
Fertilizer	24	0.7
Hydrogen	1	0
Electrical energy	1	0

CBAM: Carbon Border Adjustment Mechanism

- हरति संक्रमण के प्रतियूरोपीय संघ और वकिसति देशों की प्रतबिद्धता के वपिरीत: आयात पर कार्बन कर का अधशिपण—जो प्रलेखति कार्बन उत्सर्जन द्वारा नरिधारति होता है, अन्य देशों के हरति संक्रमण (Green Transition) का समर्थन करने के यूरोपीय संघ और वकिसति देशों की प्रतबिद्धता के वपिरीत है। हरति संक्रमण के समर्थन के बजाय इसके परणामस्वरूप वपिरीत दशिा में धन का प्रवाह होगा।

भारत को EU के CBAM के प्रतकिसि प्रकार प्रतकिरिया देनी चाहयि?

- बहुपक्षीय मंचों पर CBAM का वरिध: भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर CBAM का वरिध करना चाहयि क्योकयिह तंत्र वकिसशील वशि्व की औद्योगीकरण की क्षमता को सीमति कर 'साझा कति वभिदति उत्तरदायतिव' (common but differentiated responsibility) के सिद्धांत को कमजोर करता है।
- CBAM के अनुरूप नीतियिं वकिसति करना: भारत यूरोपीय संघ को अपने नरियात पर CBT जैसा एक कर वसूलने पर वचिर कर रहा है। हालाँकि इसके परणामस्वरूप उत्पादकों पर सदृश कर का बोझ पड़ सकता है, लेकिन एकत्र कयि गए धन को उत्पादन प्रक्रियाओं को अधिकि पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लिये पुनर्निवेश कयिा जा सकता है, जसिसे संभावति रूप से भवषिय के करों को कम कयिा जा सकता है।
 - हालाँकि इस बात को लेकर अनशिचतिता है कियूरोपीय संघ इस तरह के कदम को स्वीकार करेगा या नहीं और कयिा इसे घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वधिकि रूप से प्रश्नगत कयि बनिा लागू कयिा जा सकता है।
- नरियात बाज्जारों में वविधिता लाना: भारत को एशिया, अफ्रीका और लैटनि अमेरिका जैसे कषेत्रों में नए अवसरों की तलाश कर यूरोपीय संघ के बाज्जार पर नरिभरता कम करनी चाहयि। यह एक उपयुक्त रणनीतिकि प्रतकिरिया होगी। यह वविधिीकरण देश को CBAM और अन्य आर्थिकि परविरतनों के प्रभावों के प्रतअपनी संवेदनशीलता को कम करने में मदद कर सकता है।

■ हरति उत्पादन को प्रोत्साहन देना:

- भारत तैयारी शुरू कर सकता है और वस्तुतः स्वच्छ उत्पादन को प्रोत्साहित कर उत्पादन को हरति एवं संवहनीय बनाने के अवसर का लाभ उठा सकता है। इससे भारत को अधिक कार्बन-सचेत भवषिय में प्रतस्पर्धी बने रहने का अवसर प्राप्त होगा।
- इसके साथ ही, भारत को अपने वकिसात्मक लक्ष्यों और आर्थिक आकांक्षाओं से समझौता कथि बनि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के अनुरूप ढलने और अपने **'2070 शुद्ध शून्य लक्ष्य' (2070 Net Zero Targets)** प्राप्त करने की दशिा में तत्पर बने रहना होगा।

नषिकर्ष

यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा कर (CBAM) भारत के नरियात के लथि चुनौतियाँ पेश करता है, वशिष रूप से इस्पात एवं एल्यूमीनयिम जैसे कषेत्रों में। भारत को एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जसिमें CBAM का वशिध करने के लथि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रयि होना, द्वपिकषीय समझौतों की तलाश करना, नरियात बाज़ारों में वविधिता लाना और हरति उत्पादन को बढ़ावा देना शामिल है। कार्बन-सचेत वैश्वकि बाज़ार में भारत की स्थति सुदृढ़ करने के लथि पर्यावरणीय उत्तरदायतिव और आर्थिक समृद्धकि संतुलति करना आवश्यक है।

अभ्यास प्रश्न: भारत के लथि यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा कर के नहितार्थों का वशि्लेषण कीजयि और उन रणनीतिक प्रतिक्रियाओं की चर्चा कीजयि जो भारत इन चुनौतियों से नपिटने के लथि आजमा सकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न

प्रश्न 1. नमिनलखिति में से कसिने अपने नागरिकों के लथि डेटा संरक्षण (डेटा प्रोटेक्शन) और प्राइवेसी के लथि 'सामान्य डेटा संरक्षण वनियिमन (जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन)' नामक एक कानून अप्रैल 2016 में अपनाया और उसका 25 मई, 2018 से कार्यान्वयन शुरू कर दिया? (2019)

- (a) ऑस्ट्रेलिया
- (b) कनाडा
- (c) यूरोपीय संघ
- (d) संयुक्त राज्य अमेरिका

उत्तर: (c)

प्रश्न 2. 'व्यापक-आधारयुक्त व्यापार और नविश करार (बरॉड-बेसड ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट एग्रीमेंट/BTIA)' कभी-कभी समाचारों में भारत एवं नमिनलखित में से कसि के बीच बातचीत के संदर्भ में दिखाई पढ़ता है। (2017)

- (a) यूरोपीय संघ
- (b) खाड़ी सहयोग परिषद
- (c) आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
- (d) शंघाई सहयोग संगठन

उत्तर: (a)